आखिरी जांच: 20 अक्टूबर 2026 · School Education Department

State Scheduled Tribe Scholarship (Class 1 to 8), Madhya Pradesh

मध्य प्रदेश के अनुसूचित जनजाति के कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए राज्य की छात्रवृत्ति, जिसका आवेदन स्कूल के माध्यम से शिक्षा पोर्टल पर होता है।

क्या मिल सकता है

कक्षा 1 से 5 के लिए 250 रुपये की छात्रवृत्ति सीधे विद्यार्थी के बैंक खाते में जाती है। आय की कोई सीमा नहीं है और किसी वर्ष में फेल होने पर भी छात्रवृत्ति मिल सकती है।

किसके लिए है

मध्य प्रदेश के अनुसूचित जनजाति के कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थी। कक्षा 1 से 5 में सभी जनजातीय बालिकाएँ पात्र हैं और बालकों में केवल बैगा, भारिया, सहरिया जनजाति के बालक।

मुख्य शर्तें

- विद्यार्थी मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजाति का हो और कक्षा 1 से 8 में पढ़ता हो।
- जाति का प्रमाण एसडीओ (राजस्व) के स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति से दिया जाता है।
- आय की कोई सीमा नहीं है और आय प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है।
- किसी वर्ष में अनुत्तीर्ण होने पर भी विद्यार्थी पात्र रहता है।
- कक्षा 1 से 5 में बालक तभी पात्र हैं जब वे बैगा, भारिया या सहरिया जनजाति के हों।
- एक ही स्तर की कक्षाओं में, जैसे कक्षा 1 से 5, नवीनीकरण के लिए दोबारा आवेदन नहीं करना पड़ता।

दस्तावेज़

- एसडीओ (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति

आवेदन कैसे करें

1. इस छात्रवृत्ति के लिए बताए गए दस्तावेज़ अपने स्कूल में जमा करें।
2. स्कूल के शिक्षक इन दस्तावेज़ों से आपकी विद्यार्थी प्रोफाइल शिक्षा पोर्टल (shikshaportal.mp.gov.in) पर भरते हैं।
3. इसके बाद आवेदन इसी पोर्टल से ऑनलाइन आगे बढ़ता है और कोई आवेदन शुल्क नहीं लगता।
4. अपील के लिए संकुल प्राचार्य, बीईओ या डीईओ से संपर्क करें।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://cmhelpline.mp.gov.in/KnowYourEntitleDetail.aspx?status=BySchemeFor&pointvalue=5&Schemeid=410
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/madhya-pradesh/mp-st-state-scholarship-class-1-8/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।